हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

पशुपालकों के लिए
महत्वपूर्ण संदेश

नस्ल सुधार प्रगति का आधार

1. कृत्रिम गर्भाधान के समय आपके पशु की पहचान हेतु कान में लगाया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट बिल्ला (टैग) लगाने में सहयोग करें। अगर किसी कारणवश टैग निकल जाता है या गिर जाता है, तो कृत्रिम गर्भाधानकर्ता को कहकर नया टैग लगवा लें। टैग के नंबर से सही जानकारी रखने मे मदद मिलती है। इससे नस्ल सुधार कार्यक्रमों को परिमाणित करने हेतु सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रह करने मे मदद मिलती है।

2. इस कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाली बछड़ियों तथा क्षेत्र में उपलब्ध अधिक दूध उत्पादन क्षमता वाले दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। अगर आपके पास अधिक दूध देने वाले पशु हैं, तो उसे निकट के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर पंजीकृत कराएं, ताकि उसके दूध उत्पादन की रिकॉर्डिंग की जा सके।

3. सही तरीके से दूध की रिकॉर्डिंग करने से प्रजनन के लिए प्रयोग किए गए सांड का सही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। अतः दूध रिकॉर्डर को अपने पशु की सही तरीके से रिकॉर्डिंग करने में सहयोग करें।

4. पंजीकृत पशु के दूध की पहली रिकॉर्डिंग ब्याने के 5 से 25 दिन के अंदर की जाती है तथा उसके बाद लगभग एक माह के अंतराल से पूरे ब्यांत में 10 से 11 बार होती है। दूध रिकॉर्डर आपके घर पूर्व निर्धारित तिथि को सुबह तथा शाम दोनों वक्त का दूध नापने आते हैं।

5. दूध रिकॉर्डिंग के दिन बछड़े/बछड़ी को पशु के

थन से लगाकर दूध न पिलाएं, इससे गलत रिकॉर्डिंग होगी। अगर जरूरी हो तो पवासने के लिए थन से लगाने के बाद बछड़े/बछड़ी को अलग कर दें। रिकॉर्डिंग के बाद बछड़े/बछड़ी को अलग से दूध पिलाएं।

6. दूध रिकॉर्डिंग के निर्धारित दिन अगर आपका पशु अस्वस्थ है तो दूध रिकॉर्डर को इसकी सूचना दें, जिससे कि पशु के स्वस्थ होने पर 2 से 4 दिन के बाद दूध की रिकॉर्डिंग की जा सके।

7. वैज्ञानिक तरीके से संपूर्ण ब्यांत के दूध उत्पादन की रिकॉर्डिंग करने से पशु का अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है।

8. दूध रिकॉर्डिंग के दिन फैट, प्रोटीन तथा लैक्टोज की जांच के लिए दूध रिकॉर्डर द्वारा दूध का नमूना (सैंपल) लिया जाता है।

9. रिकॉर्डिंग किए जा रहे प्रत्येक पशु का दूध रिकॉर्डिंग कार्ड बनाया जाता है जिससे दूध रिकॉर्डर सुबह–शाम का दूध उत्पादन अंकित करता है। इस कार्ड को संभाल कर रखें।

10. यथासंभव, पूरे ब्यांत की रिकॉर्डिंग होने तक रिकॉर्डिंग किए जा रहे पशु को न बेचें।

11. दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में शामिल किए गए पशुओं में से निर्धारित दूध उत्पादन पूरा करने वाले पशुओं का प्रजनन उत्कृष्ट प्रमाणित सांड के वीर्य से किया जाता है तथा पूरे ब्यांत के रिकॉर्डिंग के पश्चात पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

12. उत्कृष्ट प्रमाणित सांड के वीर्य से पैदा हुई बछिया, निसंदेह, भविष्य में एक उत्कृष्ट दुधारू गाय/भैंस बनेगी, जिसके आप भाग्यशाली मालिक होंगे।

13. अगर उत्कृष्ट प्रमाणित सांड़ के वीर्य से किए गए कृत्रिम गर्भाधान से बछड़ा पैदा होता है तो उसकी डीएनए जांच तथा रोगमुक्त होने की जांच के पश्चात, निर्धारित मूल्य तालिका के आधार पर, संतति परीक्षण प्रोजेक्ट द्वारा वीर्य उत्पादन हेतु बछड़ा खरीद लिया जाता है।

14. कार्यक्रम के कारगर क्रियांवयन के उद्देश्य से पर्यवेक्षकों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यों का औचक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। अतः सत्यापन हेतु आए पर्यवेक्षकों व अधिकारियों का सहयोग करें। इससे आपको बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।

15. कार्यों के सत्यता की पुष्टि करने के उद्देश्य से खून के नमूने डीएनए तथा बीमारियों की जांच हेतु लिए जाते हैं। अतः पशु के खून के नमूने देने में आनाकानी न करें तथा सहयोग करें।

राष्ट्रीय डेरी योजना के अंतर्गत आपके क्षेत्र में पशुओं की उत्पादकता वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में लाए जाने वाले संतति परीक्षण (प्रोजेनी टेस्टिंग) कार्यक्रम का क्रियांवयन किया जा रहा है। जिससे पशुओं के निरंतर विकास में मदद मिलेगी तथा क्रत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त वीर्य की मांग पूरी की जा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत –

प्रमाणित कार्यपद्धति का अनुकरण करते हुए प्रशिक्षित एवं अनुभवी तकनीशियनों द्वारा गाय एवं भैसों में विश्वसनीय तथा विश्वस्तरीय कृत्रिम गर्भाधान की घर–पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

- केवल "ए" या "बी" श्रेणी के वीर्य उत्पादन केंद्र में उत्पादित उच्च गुणवत्ता के वीर्य का उपयोग किया जाता है।
- एक जागरूक तथा प्रगतिशील पशुपालक होने के नाते आपको इस कार्यक्रम की जानकारी आवश्यक है।

संतति परीक्षण कार्यक्रम में प्रजनन के लिए प्रयोग किए गए सांडों का मूल्यांकन उनसे पैदा बछड़ियों के दूध उत्पादन के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर उनका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों में बेहतर दूध उत्पादन क्षमता सुनिश्चित की जा सकती है।

अतः सर्वोत्तम सांड के सही तथा विश्वसनीय चुनाव हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु निकट के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर संपर्क करें।

राष्ट्रीय डेरी योजना के मिशन मिल्क की परिकल्पना, एक और श्वेत क्रांति की दिशा में एक अहम कदम है।

आइए हम सभी मिलकर इसे सफल बनाएं

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
आणंद 388001, गुजरात, भारत

facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard

जारीकर्ता :

हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड

बेज नं. 9-12, सैक्टर 2, पंचकूला (हरियाणा)
दूरभाष : 0172-2574663-4, फैक्स : 0172-2586834
ई-मेल : hldb-hry@nic.in